



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण शुद्धि-पत्र

Duplicate-copy CRSLP94

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	गोविन्दपुर	हल्का	हलका-04
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	12	पृष्ठ संख्या वर्तमान	58	थाना न.	89

क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. भाग वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल
39876	1583 /R27 2022 - 2023	भेलाटाड/ 89	गोविन्दपुर	26/07/2022	By Sale Registration Dated 30/07/2021	33 1	629	33 637 4.95 डिस्मी

क्रेता का नाम :
(ANAND KUMAR MAHTHAपिता-SHATRUGHAN
MAHTHA, जाति-----, पता-UPAR ANKURAPS
BARWADDA DIST DHANBAD)

जमाबंदी रैयत का नाम :
मे.प्रो. सि. इ. प्राणलिंगा श्रीमति तुषार करण -डाइरेक्टर-श्री नरेन्द्र
करण

विक्रेता का नाम :
मेसर्स प्रोग्रेसिव भिनरल्स इंडिया प्रा.
कुमार कर्ण, पिता-स्व. के.शव लाल
सरदार पटेल नगर हाउसिंग कॉलोन

राजस्व कर्मचारी हलका-04 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित।
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Signature valid
Digitally signed by



RAMJI VERMA

अंचलाधिकारी

गोविन्दपुर

Ramaji

आदेश

तिथि
Jul 26 2022

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा भेलाटाड थाना गोविन्दपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
33	637	0 एकड़, 4.95 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
मेसर्स प्रोग्रेसिव मिनरल्स इंडिया प्रा० लि० निर्देशक श्री नरेन्द्र कुमार कर्ण	पिता	स्व० केशव लाल दास

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 3309 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
मे० प्रो० मि० इ० प्रा० लि० डा श्रीमति तुषार करण	डाइरेक्टर	श्री नरेन्द्र करण

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त नामान्तरण वाद को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान 3रुपये
स्वीकृत

किया जाता है।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
RAMJI VERMA
अंचलाधिकारी गोविन्दपुर

Ramji Verma